

न्याय
अदालत का
दुकान को तामील
में जारी हुए

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./63/2021

योगेश कुमार पुत्र श्री रजनीकान्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील पहाड़ी
जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1-ईशा पुत्र छज्जू जाति मेव निवासी मल्हाका तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

.....असल अप्रार्थी

2-हासखों पुत्र छग्गा

3-महमूद पुत्र छज्जू

4-आसमौहम्मद पुत्र अरजन

5-हनीफ पुत्र अरजन

6-हब्बू पुत्र अरजन

7-असाव पुत्र छग्गा

8-विजय प्रभा पत्नी लक्ष्मीनारायन

9-लक्ष्मीनारायन पुत्र रजनीकान्त

10-तहसीलदार पहाड़ी जिला भरतपुर

जाति मेव निवासी मल्हाका तहसील पहाड़ी जिला
भरतपुर

.....गैर अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध एसडीओ पहाड़ी श्री संजय
गोयल वमुकदमा उनवानी ई बनाम सरकार वगैरा मु0न0
58/20 अन्तर्गत धारा एलआर एक्ट।

उपस्थित:-

1-श्री पंकज कुमार अभिभाषक प्रार्थी,

2-श्री महाराजसिंह डांगुर अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 21.6.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश
किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट के तहत
न्यायालय एस.डी.ओ. पहाड़ी में विचाराधीन है। असल अप्रार्थी एसडीओ पर राजनैतिक
दबाव डालकर तहसीलदार पहाड़ी से अपने माफिक रिपोर्ट तैयार कराने पर आमदा है।
प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी नियत कर रहे हैं, प्रार्थी ने जब इस बाबत आपत्ति की
तो उपखण्ड अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझ पर राजनैतिक दबाव है इस

.....2

(Handwritten signature)

**जिला जलसुध
भरतपुर 31200**

(2)

प्रा.पत्र मुन्त./63/2021
योगेश कुमार बनाम ईशा वगे.

कारण में इस प्रकरण नजदीक पेशी नियत कर रहा हूँ। दिनांक 23.11.2021 को असल अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी है कि उनसे उपखण्ड अधिकारी से बात हो चुकी है उपखण्ड अधिकारी प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट का फैसला उसके पक्ष में करेंगे। प्रार्थी को एस.डी.ओ. से न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रकरण को एस.डी.ओ. पहाड़ी से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।



प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी की गई। एस.डी.ओ. पहाड़ी से टिप्पणी तलब की गई। उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि उसके प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य ही उसकी बहस हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने भी अपने कथनों में प्रस्तुत जबाब को ही बहस में शुमार किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाब पर गौर किया। एस.डी.ओ. पहाड़ी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक आरोपों की पुष्टी होती हो। प्रार्थी ने मनगढ़ंत झुठे आरोप लगाये गये हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.6.2022 को सुनाया गया।


(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर